

[illegible]

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-02-113-(09)-[03]-12

जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
कोटा

प्रतिलिपि -निम्नान्वितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त,.....
3. जिला कलेक्टर, कोटा।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, कोटा।
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा

प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
कोटा

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by R.endra
Goswami
Date: 2025.03.14 14:40:58 IST
Reason: Self-Attested
Location:



वर्ष 2021 (संवत् 2078) में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों/अन्य हेतु बजट मांग जिला कोटा

मद/गतिविधि में अब तक की गई मांग	पूर्व में किये गये आवंटन के विरुद्ध व्यय	बकाया की स्थिति
वर्ष 2021 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों हेतु प्रभावितों को भुगतान तहसील स्तर से किया जाने से मांग DMIS पोर्टल पर ऑनलाईन नहीं की गई।	समस्त बिलों का भुगतान यथासमय कर दिया गया था, किन्तु कुछ प्रभावितों के बैंक विवरण गलत होने से आवेदन पुनः ऑनलाईन कराये गये।	15वीं विधानसभा के अष्टम सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 7487 से कुछ प्रभावितों के बिलों का भुगतान शेष रहने से पुनः बजट मांग की जा रही है। कृपया बजट अंकन कराना फरमावें।